



# अधिकारों और स्वतंत्रताओं का कनाडाई अधिकार पत्र



ना हो और ज़रम की सजा दी जाए, पुनः इसके लिये मुकदमा ना हो या सजा ना दी जाए; और (ओ) यदज्जुरम का कसूरवार पाया जाए और कमीशन के समय तथा सजा के समय, कम सजा हेतु ज़रम के लिये भन्ति सजा रही हो। 12. प्रत्येक को कसिमी भी निरिदयी तथा असाधारण व्यवहार या सजा का नशाना ना बनाए जाने का अधिकार है। 13. कोई गवाह जो कसिमी कार्यवाही में गवाही देती है, सविए कसिमी मुकदमे में सच बोलने की शपथ ले कर झूठ बोलने के लिए या उल्टे दिये सबूत के उपयोग से, उस गवाह पर कसिमी कार्यवाही में निरिदोष सिद्ध करने वाले सबूत होने का अधिकार है। 14. कसिमी कार्यवाही में कोई पार्टी या गवाह यदिस भाषा जिसमें कार्यवाही संचालित हो रही है, को नहीं समझता या बोलता हो या जो बहारा हो उसे कसिमी व्याख्याता की मदद लेने का अधिकार है।

#### समानता का अधिकार

15. (1) कानून के आगे और अधीन प्रत्येक व्यक्तिमिमान है और उसे बिना भेद-भाव वशिषे रूप से नसल, कोम या जातिसंबंधित जड़, रंग, धरम, लिंग, उमर या मानसिकि या शारीरिक असमरथता के आधार पर बिना भेद-भाव कानून की समान सुरक्षा और समान लाभ का अधिकार है। उपधारा (2) उपधारा (1) कसिमी कानून, पुरोगराम या गतिविधिजिसका मनोरथ इसके घाटे के व्यक्तियों या समूहों की अवस्थाओं को अच्छा करना है सहित उनके जो नसल, कोम या जातिसंबंधित जड़, रंग, धरम, लिंग, उमर या मानसिकि या शारीरिक असमरथता के कारण घाटे में हैं, को परे नहीं करती।

#### कैनेडा की सरकारी भाषाएँ

16. (1) कैनेडा की सरकारी भाषाएँ अंग्रेजी और फ्रेंच हैं और कैनेडा की संसद और सरकार की सभी स्थापनाओं में उनका प्रयोग करने का समान दरजा और समान अधिकार तथा वशिषे अधिकार हैं। (2) न्यू ब्रन्जविक की सरकारी भाषाएँ अंग्रेजी और फ्रेंच हैं और न्यू ब्रन्जविक के विधान-मंडल और सरकार की सभी स्थापनाओं में उनका प्रयोग करने का समान दरजा और समान अधिकार तथा वशिषे अधिकार हैं। (3) इस अधिकार पत्र में संसद या कोई विधान-मंडल , अंग्रेजी और फ्रेंच के दरजे की समानता या प्रयोग को सीमित नहीं करता। 16.1 (1) न्यू ब्रन्जविक में अंग्रेजी भाषाई समुदाय और फ्रेंच भाषाई समुदाय की प्रती पठित शिक्षा संबंधित संस्थाओं के अधिकार सहित समान दरजा और समान अधिकार तथा वशिषे अधिकार हैं ऐसी प्रतिपठित सांस्कृतिक संस्थाओं को कायम रखने और प्रगति के लिए जरूरी है। (2) न्यू ब्रन्जविक के विधान-मंडल और सरकार की भूमिका की, उपधारा (1) में हवाला दिये दरजे, अधिकारों और वशिषे अधिकारों को सुरक्षित रखने और उनका प्रचार करने की पुष्टि है। 17. (1) प्रत्येक व्यक्ति को संसद के विवादों और अन्य कार्यवाहियों में अंग्रेजी या फ्रेंच का प्रयोग करने का अधिकार है। (2) प्रत्येक व्यक्ति को न्यू ब्रन्जविक के विधान-मंडल के विवादों और अन्य कार्यवाहियों में अंग्रेजी या फ्रेंच का प्रयोग करने का अधिकार है। 18. (1) संसद द्वारा पारित किए अधिनियम, पत्र और रिकारड अंग्रेजी या फ्रेंच में छपें और प्रकाशित हों तथा दोनों भाषाओं का अनुवाद सामान्य रूप से प्राधकृत है। (2) न्यू ब्रन्जविक के विधान-मंडल द्वारा पारित किए अधिनियम,

पत्र और रिकारड अंग्रेजी या फेंच में छपें तथा प्रकाशित हों या दोनों भाषाओं का अनुवाद सामान्य रूप से प्राधकृत है। 19. (1) संसद द्वारा स्यपति कसिमी व्यक्तदिवारा या कसिमी पेश की दलील में कसिमी अदालत से नोकसति प्रक्रिया में अंग्रेजी या फ्रेंच का प्रयोग किया जा सकता है। (2) न्यू ब्रन्जविक की जनता में कसिमी व्यक्तदिवारा या कसिमी पेश की दलील में या कसिमी व्यक्तदिवारा या कसिमी पेश की दलील में या कसिमी अदालत से नोकसति प्रक्रिया में अंग्रेजी या फेंच का प्रयोग किया जा सकता है। 20. (1) कैनेडा की जनता में कसिमी व्यक्तिके संसद या कैनेडा की सरकार की संस्था के कसिमी मुख्य या केंद्र कार्यालय सहित अंग्रेजी या फ्रेंच में विचारों के आदान प्रदान करने का और उपलब्ध सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार है और कसिमी ऐसी संस्था के कसिमी अन्य कार्यालय संबंधी वही अधिकार हैं, जहाँ (अ) ऐसी भाषा में विचारों के आदान प्रदान और कार्यालय से सेवाएं दोनों अंग्रेजी या फ्रेंच में उपलब्ध हो। (2) न्यू ब्रन्जविक की जनता में कसिमी व्यक्ती को न्यू ब्रन्जविक विधान-मंडल या सरकार की संस्था के कसिमी कार्यालय संग अंग्रेजी और फ्रेंच में विचारों के आदान-प्रदान और उपलब्ध सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार है। 21. 16 से 20 धाराओं तक में अंग्रेजी वएँ फ्रेंच भाषाओं, या उनमें से कसिमी से, जो कैनेडा के संबिधान के कसिमी अन्य उपबंध की बदीलत लागू हो, के संबध में उसे कसिमी अधिकार, वशिषे पाधिकर या दायित्व से वंचित नहीं करता। 22. 16 से 20 धाराओं तक कैनेडा के विधान कसिमी और नयिम की बदीलत अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाओं या दोनों से ही संबधित कसिमी अधिकार-पत्र के, या लागू होने से पूर्व या पश्चात, कसिमी प्राप्त लागू कानूनी या परंपरागत अधिकार या वशिषे अधिकार का अनादर नहीं करता या कुछ भी नहीं हटाता।

#### अल्पसंख्यक भाषा शक्षिा संबंधी अधिकार

23. (1) कैनेडा के नागरिक अ) जिनकी प्रथम सीधी अथवा समझने वाली भाषा अंग्रेजी या फ्रेंच्, प्रान्त की अल्पसंख्यक भाषा की आवादी है, जिसमें वे रहते हैं, या (अ) जिन्होंने अपनी प्राथमिक स्कूल शक्षिा कैनेडा में अंग्रेजी या फ्रेंच भाषा में प्राप्त की है और उस प्रान्त में बस रहे हैं, जहाँ उस भाषा में जिसमें उन्होंने शक्षिा प्राप्त की उस प्रान्त की भाषाई अल्पसंख्यक आवादी की भाषा अंग्रेजी या फ्रेंच है, उन्हें उस प्रान्त में अपने बच्चों को उस भाषा में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल शक्षिा प्राप्त कराने का अधिकार है। (2) कैनेडा के नागरिक जिनके कसिमी बच्चें ने कैनेडा में अंग्रेजी या फ्रेंच में प्राथमिकि या माध्यमिकि स्कूल शक्षिा प्राप्त की या कर रहे हैं, अधिकार है की उनके बच्चों उसी भाषा में प्राथमिकि या माध्यमिकि स्कूल शक्षिा प्राप्त कर सकते हैं। (3) उपधाराएं (1) और (2) अधीन कैनेडा के नागरों को उनके बच्चों को कसिमी प्रान्त की अंग्रेजी या फ्रेंच अल्पसंख्यक भाषाई की आवादी की भाषा में प्राथमिकि या माध्यमिकि स्कूल शक्षिा प्राप्त कराने का अधिकार है (अ) प्रान्त में जहाँ कहीं नागरिकों के बच्चों की गणना जिनके पास ऐसा अधिकार है, व्यवस्था ठीक साबित करने के लिए, अल्पसंख्यक भाषा शक्षिा के जनता फंडों में से उनको देने के लिए लागू होता है; और (आ) जहाँ उन बच्चों की गणना ठीक साबित करता है, जिनको जनता की नधियों में से अल्पसंख्यक भाषा शक्षिा की सहूलियतों में उस शक्षिा को प्राप्त करने का अधिकार शामिल करता है।

कैनेडा ईश्वर एवं कानून की सर्वोच्चता मानने वाले नभितलखित सिद्धांतों पर स्थापति हुआ है:

#### अधिकारों और स्वतंत्रताओं की गारंटी

1. अधिकारों और स्वतंत्रताओं का कनाडाई अधिकार पत्र, इसमें बताए गये कानून द्वारा नयित केवल यथोचित ऐसी सीमाओं में अधिकारों और स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है जो एक स्वतंत्र और प्रजातंत्रीय समाज में औचितिय स्वरूप प्रमाणित किए जा सकते हैं।

#### मूलभूत स्वतंत्रताएं

2. प्रत्येक व्यक्ति को नभितलखित मूलभूत स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं: (अ) अंतःकरण और धरम की स्वतंत्रता; (आ) प्रेस और संचार के अन्य माध्यम की स्वतंत्रता सहित विचार, विश्वास, राय और संचार के अन्य माध्यम की स्वतंत्रता; (इ) शांतिपूर्ण समा की स्वतंत्रता; और संग-साथ की स्वतंत्रता।

#### प्रजातंत्रीय अधिकार

3. कैनेडा के प्रत्येक व्यक्तिको लोक सदन या विधानसभा के सदस्यों के चुनाव में वोट देने का और उसमें सदस्यता के योग्य होने का अधिकार है। 4. (1) इसके सदस्यों के आम चुनाव पर न्यायादेश की वापसी की नयित तारीख से पांच वरएे ना लोक-सदन और ना ही वी धानसभा जारी रहनी चाहिए। (2) वास्तवकि या युद्ध की अर्थका, आक्रमण या बिद्रोह के समय, लोक-सदन संसद द्वारा और विधानसभा विधान-मंडल द्वारा पांच वरपों से आम चलता रह सकता है यदिएमें विधान का वशिषे लोकसदन या विधानसभा के एक तिहाई से अधिक सदस्यों के वोटों द्वारा नहीं होता, जो भी उचित हो। 5. संसद तथा प्रत्येक विधान-मंडल की कम से कम प्रत्येक वारहवें सहीने एक बैठक होनी चाहिए।

#### आवागमन का अधिकार

6. (1) कैनेडा के प्रत्येक नागरिक को प्रवेश होने, टिके रहने या कैनेडा छोडने का अधिकार है। (2) कैनेडा के प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक व्यक्तिको जिसके पास स्थायी निवासी होने का दरजा है, अधिकार है (अ) कसिमी प्रान्त में स्थान बदलने और निवास करने का; और (आ) कसिमी प्रान्त में जीविका कमाने का। (3) उपधारा (2) में स्पष्ट किये अधिकारों की अरत है (अ) कसिमी प्रान्त में लागू हुए साधारण आवेदन के कानून या अमल, उनके अलावा वे जो मुख्य तोर से व्यक्तियों के मध्य वरतमान या पिछले निवास के प्रान्त के आधार पर भेदभाव करते हैं; और (आ) सरकार द्वारा पंञ्जीई गई सामाजिक सेवाओं तक पञ्चने की योग्यता के तोर पर यथोचित निवास स्थान मांगों की शरत लगाने के लिये कोई कानून। (4) उपधाराएं (2) और (3) कसिमी कानून, पुरोगराम या गतिविधिजिसका मनोरथ कसिमी प्रान्त के उस प्रान्त के व्यक्तुि, जो सामाजिक और आर्थिक तोर पर घाटे पर हैं, को परे नहीं करते यदियेस प्रान्त में नौकरी की दर कैनेडा में नौकरी की दर से नीचे है।

#### कानूनी अधिकार

7. प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्तिकी रक्षा का अधिकार है और मूलभूत न्याय के सिद्धांत के अनुसार उसके अधिकार से वंचति ना होने का अधिकार है। 8. अनुचित तलाशी या ज़ब्तुी के विरोध में सुरक्षित होने का प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार है। 9. प्रत्येक व्यक्ति को मनमाने ढंग से नज़रबंद या कैदी ना होने का अधिकार है। 10. बंदी या नज़रबंद होने की अवस्था में प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार है। (अ) शीघर ही इसके कारणों से सूचित होने का; (आ) बिना डील किये वक़ील करने और इ्दिायत देने और उस हक से सूचित होने का अधिकार; और (ई) बंदी-प्रत्यक्षीकरण करने के प्रमाण से बोध रखने का, नशिय्य करने और रद्दहा होने का अगर बांध नयिमक नहीं है। 11. कसिमी ज़रम से आरोपित हुए कसिमी व्यक्तिको अधिकार है (अ) आकरण डील किये बिना वशिषे ज़रम संबंधी सूचित होने का; (आ) यथोचित समय में मुकदमे के होने का; (इ) उस व्यक्तिके विरुद्ध ज़रम संबंधित कार्यवाही में गवाह होने से मजबूर न होने का; (ई) कसिमी असलंगन तथा निपेक्षक न्याय-सभा द्वारा एक न्यायकारी और सार्वजनिक सुनवाई में कानूनानुसार दोषी सिद्ध होने तक निरिदोष माने जाने का; (उ) बिना उचित कारण यथोचित जमानत से नकारे ना जाने का; (अ) सविए से ना कानून अधीन कसिमी ज़रम के मामले में कोई सैनिकि न्याय-सभा सम्मुख हुए मुकदमे, अदालति पचायत द्वारा मुकदमे के लाभ के प्रतजिहाँ ज़रम की अधिकि से अधिक सजा पांच वरपों के लिये कैद या कोई अधिक सजा है। (ए) कसिमी कार्य या भूल संबधित कसूरवार ना पाया जाए, जब तक कार्य या भूल के समय कनाडाई या अंतर्राष्ट्रीय कानून अधीन अपराधी करार नहीं कर दिया जाए या देशों के संप्रदाय द्वारा कानून के साधारण सिद्धांतों के अनुसार अपराधी हो; (ए) यदियेअंत में ज़रम से निरिदोष ठहराया जाए, इसके लिये पुनः मुकदमा

यह प्रकरण उन कनाडाइयों के लिये है जो अंग्रेजी या फ्रेंच दोनों के स्वाभाविक वक्ता नहीं है। इस प्रकरण को कनाडाई अधिकार पत्र और स्वतंत्रताओं का सरकारी अनुवाद नहीं समझना चाहिए। अधिकार पत्र की व्याख्या या अमल के प्रयोजनों के लिये अंग्रेजी और फ्रेंच के ही मौलिक प्रकरणों का प्रयोग होना चाहिए।"

#### प्रवर्तन

24. (1) कोई व्यक्तिजिसके इस अधिकार-पत्र द्वारा गारंटी किये अधिकारों या स्वतंत्रताओं को भंग या इन्कार किया गया है, ऐसे उपाय जिनको अदालत परीस्यतितियों में उपयुक्त और न्यायसंगत विचारती है, प्राप्त करने हेतु समर्थ अधिकार-क्येत्तरी अदालत में आवेदन कर सकता है। (2) जहाँ उपधारा (1) अधीन कार्यवाहियों में इसका प्रवेश न्याय के प्रशासन के अर्शाभित करेगा।

#### साधारण

25. इस अधिकार-पत्र में अधिकारों या स्वतंत्रताओं की गारंटी कसिमी आदिवासी, संधिया कैनेडा के आदिवासियों के अन्य अधिकारों के अन्य अधिकारों या स्वतंत्रताओं को हटाने या अपमानित किये जाने का अर्थ नहीं नकालना चाहिए, उनमें से (अ) जिन अधिकारों या स्वतंत्रताओं को अक्टूबर 7, 1763 की राजकीय घोषणा द्वारा माना गया; और (आ) जिन अधिकारों या स्वतंत्रताओं को अब भूमि दावा करारों द्वारा अस्तित्व में हैं या जिनको अर्जति किया जा सकता है। 26. इस अधिकार-पत्र में जिन अधिकारों या स्वतंत्रताओं की गारंटी से कैनेडा में अन्य अधिकारों या स्वतंत्रताओं की, जिनका अस्तित्व है, के अस्तित्व की असंबीकृतिका अर्थ नहीं नकालना चाहिए। 28. इस अधिकार पत्र में प्रत्येक अवस्था में, इस में पेश किये अधिकारों और स्वतंत्रताओं की तर-नारियों प्रति समान गारंटी है। 29. इस अधिकार पत्र में सांप्रदायिक, अलग (रोयन कॅथलिकि) या भिन्न विचार-सकूलों के संबध में कैनेडा के विधान द्वारा गारंटी के अधिकारों या वशिषे अधिकारों के हटाने या निर्ादर करने जैसे कुछ नहीं है। 30. इस अधिकार पत्र में कसिमी विधान-सभा या विधान-मंडल प्रतिक हवाले में यूकान इलाके और पशुचिभोत्तरी (नार्वेवैस्ट टैरिटोरिज़) इलाकों का या उपयुक्त विधानी संस्था के हवाले को शामिल समझना चाहिए, जैसा उचित हो। 31. इस अधिकार पत्र में कसिमी को या कसिमी अधिकारी संस्था की विधानी शक्तिका वस्तितार करने जैसे कुछ नहीं।

#### अधिकार पत्र का आवेदन

32. (1) यह अधीकार-पत्र लागू होता है (अ) यूकान इलाके और पशुचिभोत्तरी इलाकों से संबधित समस्त मामले में, संसद की शक्तिकी सीमा के अंदर समस्त मामलों संबधित संसद और कैनेडा की सरकार प्रति; तथा (आ) प्रत्येक प्रान्त के विधान-मंडल और सरकार प्रति। (2) उप-धारा (1) के होते हुए, इस धारा के लागू होने के तीन वरपों पश्चात चक धारा 15 का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। 33. (1) संसद या कसिमी प्रान्त का विधान-मंडल, संसद को कसिमी अधिनियम या कसिमी प्रान्त के विधान-मंडल प्रान्त के कसिमी अधिनियम में, जो उचित हो, जाहिर तोर घोषणा कर सकते हैं कि इस अधिकार पत्र की धारा 2 या धारा 7 से 15 तक शामिल किये नयिम के होते हुए, अधिनियम या अधिनियम कानयिम लागू होना चाहिए। (2) कसिमी अधिनियम या कसिमी अधिनियम के एक नयिम से संबधित इस धारा अधीन की कसिमी घोषणा का वास्तव में होने वाला ऐसा अमल होना चाहिए जो बनि घोषणा हवाला दिऐे इस अधिकार पत्र के नयिम के लिए होता है। (3) उप-धारा (1) अधीन बनाई गई कोई घोषणा लागू होने के पांच वरपों पश्चात या घोषणा में निरिदष्ट अगली तारीख पर समाप्त हो जाता है। (4) संसद या कसिमी प्रान्त का विधान-मंडल उप-धारा (1) अधीन बने कसिमी घोषणा को पुनः कानून पास कर सकता है। (5) उप-धारा (4) अधीन पुनः कानून बनाने के संबध में उप-धारा (3) लागू होती है।

#### हवाला

34. यह भाग अधिकारों और स्वतंत्रताओं के कनाडाई अधिकार पत्र का हवाला हो सकता था।

" हमें अब मूलभूत सिद्धांत, मूलभूत मूल्य और मान्यताएं स्थापित करने चाहिए जो हमें कनाडाई के रूप में एकजुट रखेंगे, ताकि हमारी क्येत्तरीय निष्ठाओं से परे भी एक जीवन शैली एवं मूल्य पद्धतों हो, जो हमें अपने उस युग पर गर्व का अनुभव कराए जसिने हमें इस तरह की स्वतंत्रता और असीम आनंद दिये है।"

पी.रू. टुरडो 1981